राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 100/2024 दायर तारीख 26.06.2024

अनवान्

1. मदनलाल पिता भोजा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी धनवाड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मू0 धापु पत्नि भोजा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी धनवाड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(फोत नाम हटाया)**

..... वादीगण

बनाम

1. छोटू पिता लक्ष्मण जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी धनवाड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री विनोद कुमार मारू – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53–88–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 05/05/2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ वादपत्र **अर्न्तगत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलिया की सरहद में वर्तमान आराजी नम्बर 305 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा, आराजी **नम्बर 303/2/1 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 11 बीघा भुमि स्थित है। जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में** प्रतिवादी संख्या 01 के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 2505 दिनांक 25/10/2012 **से** आराजी नम्बर 305 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वां को छोटूलाल पिता लक्ष्मण बलाई एवं आराजी नम्बर 303/2 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वां में से आराजी नम्बर 1495/303 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वां को छोटूलाल पिता लक्ष्मण बलाई के नाम न्यायालय श्रीमान के निर्णय एवं डिक्री द्वारा दर्ज रेकार्ड की गई है। प्रतिवादी संख्या 01 ने एक राजस्व वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध उक्त आराजी बाबत् पेश किया जो प्रकरण संख्या 24/2009 राजस्व से दर्ज हो निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2012 को पारित की गई थी। उक्त वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त विवादित भुमि गत बन्दोबस्ती आराजी संख्या 95 रकबा 8 बीघा 05 बिस्वा तत्कालिन खातेदार देवीसिह पुत्र धुल सिंह राजपुत निवासी भवानी सिह का खेडा से अपने पिता लक्ष्मण पुत्र नारायण मेघवाल (बलाई) निवासी धनवाडा द्वारा बिल एवज 800/– रू0 दिनाक 31.08.1973 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जाना बताया। इस आधार पर वादपत्र प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में न्यायालय श्रीमान के द्वारा डिक्री किया गया एवं वर्तमान में उक्त आराजी हाल बन्दोबस्ती नम्बरान से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज रेकार्ड की गयी। खरीददार लक्ष्मण पुत्र नारायण बलाई के प्रतिवादी के संख्या 1 के अलावा भोजा पिता लक्ष्मण भी पुत्र था जिसका देहावसान हो गया और उसके उतराधिकारी वादीगण है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने वाद संख्या 24/2009 में इस तथ्य को जानबुझकर छिपाते हुये अकेले लक्ष्मण का वारिस अपने आप को बताकर बिना वादीगण की जानकारी के यह वादपत्र पेश कर विवादित आराजियात के खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद निर्णित करवाया। प्रतिवादी संख्या 01 की जानकारी में था कि

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

लक्ष्मण पिता नारायण बलाई के उत्तराधिकारी वादीगण भी है। तथा वादग्रस्त भुमि पर वादीगण का होकर मृतक भोजा के बाद से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। तथा स्व० लक्ष्मण जी की बाद भोजा जीवन पर्यन्त उक्त भुमि पर काश्त व उपयोग उपभोग करता रहा है। एवं बिलानाम भुमि कब्जे कि कार्यवाही का नोटिस भी वादीगण को दिया गया था तथा भोजा की मृत्यु के बाद से कब्जा व उपयोग उपभोग आधे हिस्से में वादीगण का चला रहा है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लक्ष्मण पुत्र नारायण मेघवाल की खरीद शुदा विवादित आराजियात मे वादीगण का 1/2 हिस्सा वादीगण व उनके पिता भोजा ने अपने हिस्से की उक्त आराजी का विक्रय हस्तान्तरण समर्पण अन्य को नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 1 को सम्पुर्ण आराजी अपने अकेले के नाम दर्ज करवाने का अधिकार न हो कर 1/2 हिस्से तक ही खातेदारी में अंकित कराने का अधिकारी है। किन्तु वास्तविक को छिपाते हुये एवं बिना वादीगण की जानकारी के राजस्व रेकार्ड में यह गलत अंकन करवाया है जो होकर दुरस्ती किये जाने योग्य है। वादीगण को सर्वप्रथम उक्त गलत अंकन की जानकारी दिनांक 2014 को हुई। विवादित आराजियात अविभक्त होने से सम्मिलित रूप में काश्त करने तथा लगान कराने व अपने हिस्से आराजियात को उन्नत आवाद करने में परेशानी रहती है। इस कारण वादीगण हिस्से की 1/2 भुमि का विभाजन करवाना चाहता है इस हेतु विभाजन का वादपत्र सादर प्रस्तुत हैं

वादीगण निम्न अनुतोष चाहते हैं कि (अ) कि इस आशय की घोषणात्मक डिक्री बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे। कि मौजा धनवाडा में स्थित आराजी संख्या 305 रकबा बीघा 14 बिस्वां व आराजी संख्या 1495/303 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण है। तथा प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज रेकार्ड किया जावे। (ब) इस आशय के विभाजन की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें उक्त आराजियात में वादीगण 1/2 हिस्से का विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर मौके व रेकार्ड में लिया जाकर वादीगण का 1/2 हिस्सा अलग दर्ज खाता किया जावे। (स) कि इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी नही कर शान्तिपुर्वक काश्त करने देवे वादीगण को बेदखल नही करे तथा सम्पूर्ण आराजियात का विक्रय हस्तान्तरण कर किसी अन्य को नही करे। (द) अन्य कोई अनुतोष जो वाद के तथ्यो व चिधि के अनुसार वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो प्रदान कराई जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र तामील करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण नम्बर 01 छोटु पिता लक्ष्मण जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी धनवाड़ा ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

छोटु पिता लक्ष्मण बलाई ने अपने जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की कलम न० 1 अस्वीकार है प्रतिवादी राजस्व रेकार्ड मे खातेदार होकर विवादग्रस्त आराजीयात पर निरन्तर 30 वर्षों से काबिज चला आ रहा है। वाद पत्र की कलम न० 2 स्वीकार है लक्ष्मण पिता नारायण बलाई ने उक्त भूमि पूर्व जागीरदार से खरीदी थी किन्तु उक्त भूमि सिलिग मे चली जाने के कारण बिलानाम दर्ज हो गई जिस पर प्रतिवादी छोटु स्वयं का निरन्तर 30 वर्षों से कब्जा होने के कारण उक्त भूमि न्यायालय द्वारा वादी के नाम खातेदारी हक की डिक्री पारित की गई। वादपत्र की कलम न० 3 में लक्ष्मण पिता नारायण माली को प्रतिवादी संख्या 1 को पुत्र बताया तथा इसके अलावा भोजा पिता लक्ष्माण पुत्र बताया जिसकी जानकारी प्रतिवादी को नहीं है क्योंकि प्रतिवादी छोटु बलाई होकर लक्ष्मण का पुत्र है तथा लक्ष्मण के छोटु के अलावा भोजा नाम का कोई पुत्र नहीं है सभी तथ्य गलत अंकित किये है। वादपत्र की कलम न० 4 अस्वीकार है वादीगण ने लक्ष्मण पिता नारायण माली के उत्तराधिकारी बताये है जबकि प्रतिवादी बलाई है। इसलिये उक्त वाद पत्र चलने काबिल नही होकर काबिल खारीज के है। वादपत्र की कलम न० 5 सर्वथा गलत है लक्ष्मण पिता नारायण बलाई की खरीद सुदा भूमि थी किन्तु सिलिग मे चले जाने से बिलानाम हो गई लक्ष्मण बलाई के भोजा बलाई नाम का कोई पुत्र नहीं था जबकि वादी स्वयं ने भोजा को लक्ष्मण पुत्र नारायण माली का लडका बताया इसलिये वादीगण उक्त विवादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादपत्र की कलम न० 6 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है लक्ष्मण के भोजा नाम का कोई पुत्र नही था तथा वादीगण स्वयं ने अपने वादपत्र मे लक्ष्मण पिता नारायण के उत्तराधिकारी बताये है ऐसी स्थिति में वादीगण लक्ष्मण पिता नारायण माली के वारीस है तथा उसकी भूमि में से 1/2 हिस्सा पाने के अधिकारी है वादीगण को कोई बिनाय उत्पन्न नही हुई है उन्होंने दिनांक 09.01.2014 को जानकारी लेना लिखा किन्तु यह नहीं बताया कि उनको किस प्रकार से जानकारी हुई वादीगण का दावा बैरून मियाद होकर काबिल खारीज के हैं। वादपत्र की कलम न० 7 अस्वीकार है वादीगण 1/2 हिस्से के घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादपत्र की कलम न० 8 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है विवादग्रस्त आरजी पर प्रतिवादी वर्षों से काबिज होकर खातेदार है जिसके विरूद्ध स्थायी निषेधज्ञा जारी करना न्याय संगत नहीं है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र की कलम न० 9 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है वादीगण का विवादग्रस्त आराजी पर भी कब्जा नही रहा न है। वादपत्र की कलम न० 10 दिनांक 09.01.2014 को बिनाय उत्पन्न होना रखा जो सर्वथा गलत है। वादपत्र की कलम न० 11 अस्वीकार है वादपत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार का नही है। जब तक वादीगण अपने आप को लक्ष्मण बलाई का वारीस सिविल न्यायालय से घोषित नही करा लेते तब तक उन्हे वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। वाद पत्र की कलम न० 12 अस्वीकार है वादी का दावा बैरून मियाद है। जो काबिल खारीज के है। वादपत्र की कलम न० 13 अस्वीकार है भूमिधारक को अधिकार बनाने के पहले धारा 80 जा.फो का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। वादपत्र की कलम न० 14 अ व स द सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष व डिक्री व स्थायी निषेधाज्ञा के अधिकारी नही है न भूमि का बटवाडा करने के अधिकारी है। क्योकि वादीगण लक्ष्मण पिता नारायण के पुत्र नही है। तथा उन्होने अपने वाद विवादग्रस्त आराजीयात को लक्ष्मण पिता नारायण माली की बतायी हैं। विशेष कथन में अंकित किया कि वादीगण लक्ष्मण पिता नारायण बलाई के वारीस नही है तथा लक्ष्मण के भोजा नाम का कोई भी पुत्र नही था विवादग्रस्त आराजी पर 3 साल से निरन्तर कब्जा छोटु का चला आ रहा है जब तक वादीगण अपने आप को लक्ष्मण बलाई के उत्तराधिकारी सिविल न्यायलय से घोषित नही करा लेवे तब तक उन्हे वाद लाने का कोई हक अधिकार नही है। वादीगण का वाद खारीज फरमाया जावे।

वादीगण ने वादपत्र के साथ नकल जमाबन्दी मौजा धनवाड़ा संवत् 2066–2069 की पेश की, प्रमाणित प्रति वाद सं0 24/08, ऑडरशीट दिनांक 15.01.09 से 3.7.12 तक, वादपत्र, जवाबदावा, बयान PW-1 से PW-4, निर्णय व डिक्री, प्रमाणित प्रति वादी प्रतिवादीगण की अन्य पुश्तैनी जमीन की जमाबन्दी की संवत 2066 से 2069, फोटोस्टेट नोटिस धारा 91, फोटोस्टेट राशनकार्ड, पहचान पत्र वादी, फोटोस्टेट मृत्यु प्रमाण पत्र भोजा बलाई पेश किये जो शामिल पत्रावली हैं।

पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में DW-1 छोटु पिता लक्ष्मण जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी धनवाड़ा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा, DW-2 रतना पिता श्रीराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी किशना का झूपड़ा (धनवाड़ा) तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा, DW-3 पेमा पिता देबी जाति भील उम्र वयस्क निवासी किशना का झूपड़ा (धनवाड़ा) तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा, DW-4 मानसिंह पिता रसाल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी सांवत जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा के बयान पेश किये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

साक्ष्यवादी में PW-1 मदनलाल पिता भोजा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी धनवाड़ा ने अपने बयान में लिखाया कि मेरे दादा श्री लक्ष्मण पिता नारायण बलाई ने ग्राम धनवाड़ा ने देबीसिंह पिता धुलसिंह राजपूत निवासी भवानी सिंह का खेडा से गत बन्दोबस्ती आराजी नं. 95 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा जमीन खरीदी जो दिनांक 31–8–1973 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था बा मेरे दादा लक्ष्मण जी के दो पुत्र भोजा व छोटू हुये थे मेरे दादा लक्ष्मण की समस्त जमीन जायदाद मे दोनों पुत्रों भोजा व छोट का बराबर बराबर हिस्सा है। मेरे दादा जी लक्ष्मण के जीवन काल में ही मेरे पिता भोजा की मृत्यु हो गयी थी मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात पुश्तैनी जमीन पर 1/2 हिस्से पर मे काबिज होकर काश्त करता आ रहा हूं । मेरे दादा लक्ष्मण द्वारा आराजी नं. 95 खरीदी गयी जिसका राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण करण निर्णित से सहवन से रह गया उसके पश्चात मेरे पिता भोजा की मृत्यु हो गयी मेरे दादाजी की मृत्यु हो गयी खरीदी गयी जमीन हमारे नाम पर नहीं आने की जानकारी मेरे काका छोटु लाल प्रतिवादी नं. 1 को हुयी तो उसने तथ्य छुपाकर मेरी बिना जानकारी के मेरे दादा लक्ष्मण द्वारा खरीदी गयी जमीन की रजिट्री को आधार बनाकर लक्ष्मण के एक पुत्र स्वयं छोटू को बताकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ में प्रकरण सं. 24/2009 पेश किया जबकी उस वाद पत्र में भोजा का नाम नहीं लिखा उस जमीन में भोजा का 1/2 हिस्सा है जो मेरे उपयोग उपयोग में चला आ रहा है। इस तथ्य की सम्पूर्ण जानकारी प्रतिवादी सं. 1 छोटु को प्रारम्भ से थी की उसका बड़ा भाई भोजा भी वादग्रस्त जमीन का 1/2 हिस्से का हकदार है। भोजा के पश्चात मे वादी हकदार हूं छोटु प्रतिवादी सं. 1 ने तथ्य छुपाकर न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर अपने नाम पर जमीन करवायी जिसके आराजी नं. 305 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वां व आराजी न. 1495/303 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वां को नामान्तरण करण सं. 2505 नि दि 25–10–2012 से अपने नाम करवा ली। जब की इस वादग्रस्त जमीन मे मेरा 1/2 हिस्सा हैं। मैंने दस्तावेज जमाबंदी संवत 2066 से 69 पेश की जो प्रदर्श 1 हैं। मैंने उपखण्ड अधिकारी मांडलगढ़ के प्रकरण सं. 24/2009 की ऑर्डर सिट की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 2 हैं। वाद पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श– 3 हैं। प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा की फोटो प्रति पेश की जो प्रदर्श 4 व 5 हैं। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी नं. 1 छोटु के बयान हुये जिसकी प्रमाणित प्रति पेश की जो पदर्श 6 हैं व उसके गवाह रतना भील के व प्रेमा भील मानसिंह के बयान हुये उसकी प्रति पेश की जो पदर्श 7, 8, 9 हैं। निर्णन एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति पेश की जो 10 व 11 है। मैंने ग्राम धनवाडा में स्थित पुश्तैनी जमीन की जमाबन्दी पेश की जो प्रदर्श 12 है। जिसमे प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा मेरा है।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मैंने दस्तावेज में परिवार राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबन्दी एवं पेनल्टी की रसीदे की फोटो पेश की जी पत्रावली में पेश है। मेरा वादग्रस्त आराजी नं. वर्तमान आराजी नं. 305 रकबा 6 बीघा 14 व आराजी नं. 1495/303 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा में 1/2 हिस्सा है और मुझे राजस्व रिकार्ड मे 2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाकर राजस्व रिकार्ड मे मेरे नाम दर्ज खाता किया जावे।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्यवादी में ओर किसी गवाह के बयान नहीं कराये जाने पत्रावली को प्रतिवादीगण में रखा गया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

अधिवक्ता वादीगण ने बहस में बताया कि मौजा धनवाडा में स्थित आराजी संख्या 305 रकबा बीघा 14 बिस्वां व आराजी संख्या 1495/303 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम रेकार्ड की गयी। खरीददार लक्ष्मण पुत्र नारायण बलाई के प्रतिवादी के संख्या 1 के अलावा भोजा पिता क्ष्मण भी पुत्र था। अतः उक्त भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जावे, दे का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जावे व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई षेधाज्ञा जारी की जावें कि वादीगण के कब्जे काश्त में उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी नही करें

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, साथ में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन उपरान्त प्रस्तुत वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को ध्यानमें रखते हुए दावे में आदेश देय जाते हैं कि :–

–:: आदेश ::–

वादपत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम धनवाडा स्थित आराजी संख्या 305 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वां व आराजी संख्या 1495/303 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार बिजौलियां द्वारा राजस्व अभिलेख में वादी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने एवं वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण को दखल अन्दाजी, रोक टोक, खुर्द बुर्द रहन, विक्रय नहीं करने एवं वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 05/05/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय मोहर

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 100 / 2024

दायर तारीख 26.06.2024

अनवान्

1. मदनलाल पिता भोजा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी धनवाड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मु0 धापु पत्नि भोजा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी धनवाड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (फोत नाम हटाया)

.....डिक्रीदार

बनाम

1. छोटु पिता लक्ष्मण जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी धनवाड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 05 / 05 / 2026

डिक्री दिनांक : 05/05 /2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉं बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ व विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री विनोद कुमार मारू को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

मौजा ग्राम धनवाडा स्थित आराजी संख्या 305 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वां व आराजी संख्या 1495/303 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार बिजौलियां द्वारा राजस्व अभिलेख में वादी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने एवं वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण को दखल अन्दाजी, रोक टोक, खुर्द बुर्द रहन, विक्रय नहीं करने एवं वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हो।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

	रुपया	पैसे
अर्जीदावा		
वकालत नामा		
दस्तावेज सबूत		
मेहनताना वकील ( )		
गवाह		
कमीशन		
इत्तलानामा हुक्मनामा		
मुतफर्रिक		
मीजान		

पेज संख्या 06

तौल Nil मुबलिग Nil रुपया

जो इस मुकदमे के बाबत सूद व शहर Nil फीस ...

व तारीख वसूलयाबी तक Nil का अदा करे।

बतसब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 03 सन् [illegible] को

किया गया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
...र अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया		
...र वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
...र वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
...ना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
...र गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
...र कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
...त इजराय हुक्मनामा	–		बाबत इजराय हुक्मनामा	–	
...फरिक	–		मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा